

## क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): ब्लड ट्रांसफ्यूजन

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.1.6.1.2

### कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

बिहार राज्य में महिलाओं में रक्ताल्पता का प्रतिशत लगभग 63% है एवं कम उम्र में माँ बनने का प्रतिशत भी अधिक है जो कि अंततः मातृ-मृत्यु अनुपात को बढ़ाने में सहायक होता है विगत वर्ष में राज्य में लगभग 55 स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन ऑपरेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, ऐसे स्थानों पर प्रसव के समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था का होने से चिकित्सकों में यह आत्मविश्वास होता है कि यदि किसी कारण रक्त की आवश्यकता होगी तो तत्काल इसकी व्यवस्था की जा सके परंतु सभी स्थानों पर ब्लड स्टोरेज की सुविधा या उस गुण के रक्त के अभाव में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सेवा उपलब्ध नहीं होती है।

अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रसूती महिलाओं को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिये कोई भी शुल्क या ब्लड डोनेशन के लिये दबाव नहीं बनाया जाये, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहता है तो इसे स्वीकार किया जाये अन्यथा रक्तदान की परिस्थिति को अनिवार्य शर्त के रूप में किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की शिकायत करते हैं तो यह बिन्दु पर जाँच की जायेगी एवं इसकी जबाबदेही संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक की होगी। इस संबंध की सूचना अस्पताल परिसर में अनिवार्य रूप से लिखवाया जाना आवश्यक है।

इकाई राशि (रु० में) : 300/-प्रति ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित केस हेतु

### वित्तीय दिशा निर्देश :

इस गतिविधि के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति वैसे सभी स्वास्थ्य संस्थानों को 300/-रूपये प्रति सिजेरियन प्रसव के आधार पर राशि आवंटित करेगी। संभव है कि जिलों को इस मद के लिये आवंटित राशि पूर्ण नहीं हो क्योंकि सभी केस के लिये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इसके लिये एक औसत गणना कर जिलों को राशि आवंटित की गई है। जिसका आधार विगत वर्ष हुये सिजेरियन ऑपरेशन के 80% ऑपरेशन के अनुसार राशि उपलब्ध कराई गई है। व्यय करने पर जिले के द्वारा मांग के अनुसार पुनः इस मद में राशि आवंटित की जायेगी।

प्रति ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दर से उस संस्थान के रोगी कल्याण समिति के एकाउन्ट में 300/-हस्तांतरित कर दिया जायेगा। रोगी कल्याण समिति रक्त भंडारण तथा परिवहन के लिये व्यय किये जाने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों में इसका व्यय कर सकती है। अर्थात् किसी भी परिस्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु प्रसूति महिला को कोई भी राशि की मांग नहीं की जाएगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य  
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,







